न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारीः– डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–290/2023

अपीलाण्ट :–

गौतचन्द पुत्र ईश्वरदास जाति ओसवाल, निवासी–जसोल, तहसील– पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामगोपाल निवासी– बालोतरा।
2. पदमाराम पुत्र मगाराम निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
3. मुल्तानराम पुत्र मगाराम निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
4. खीमाराम पुत्र मगाराम निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
5. लूणीदेवी पत्नी डूंगरचन्द निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
6. भरत पुत्र डूंगरचन्द निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
7. कुमारी मंजू पुत्री डूंगरचन्द निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
8. कुमारी काजू पुत्री डूंगरचन्द निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
9. कुमारी भावना पुत्री डूंगरचन्द निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
10. कुमारी अनिता पुत्री डूंगरचन्द रेस्पो0 संख्या 7 ता 10 जरिये कुदरती वलिया माता लूणीदेवी पत्नी डूंगरचन्द निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
11. त्रिलोकचन्द पुत्र किस्तुराम
12. स्व. पुखराज पुत्र किस्तुराराम के का.मुः–
    1. अणसीदेवी पत्नी स्व. पुखराज
    2. खुशी पुत्री स्व. पुखराज
    3. जयश्री पुत्री स्व. पुखराज
    4. धमेन्द्र कुमार पुत्र स्व. पुखराज
    5. ललिता पुत्री स्व. पुखराज निवासी–कुम्हारों का बास, जसोल, जिला बालोतरा।
13. ओमप्रकाश पुत्र किस्तुराराम निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

14. माणकचन्द पुत्र किस्तुराराम
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
15. द्वारकाप्रसाद पुत्र किस्तुराराम
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
16. खमादेवी पत्नी किस्तुराराम के का.मु.:–
1. अमृतीदेवी पत्नी भंवरलाल
निवासी–बालोदाया स्कूल, पुरा रोड के पास, जसोल तहसील पचपदरा।
17. कन्हैयालाल पुत्र नाथूराम
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
18. हिम्मताराम पुत्र नाथूराम
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
19. टीकमाराम पुत्र नाथूराम
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
20. पुष्पादेवी पत्नी नाथूराम
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
21. हरकाराम पुत्र मुल्तानमल
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
22. पुखराज पुत्र मुल्तानमल
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
23. केशाराम पुत्र मुल्तानमल
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
24. लिखमीचन्द पुत्र मुल्तानमल
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
25. भरत आजाद डवलपर्स प्रा0लि0 के डायरेक्टर भरत पुत्र रामगोपाल अग्रवाल निवासी–बालोतरा
26. कुसुम्बी पत्नी रमेश प्रजापत
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
27. श्रीमती चम्पादेवी पत्नी भीमाराम
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
28. पंकज पुत्र राजेन्द्रकुमार
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
29. पिस्तादेवी पत्नी शांतीलाल
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
30. प्रहलादराम पुत्र भेराराम
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
31. पृथ्वीराज पुत्र भरत अग्रवाल
निवासी–जसोल, जिला बालोतरा।
32. राज0 सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, पचपदरा।

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 409/2018 अनवान लक्ष्मीनारायण बनाम गौतमचन्द वगैराह में दिनांक 15.07.2022 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अनिल राठी, अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से।
3. श्री अनोपसिंह सोलंकी रेस्पो0 संख्या 2 ता 10, 26,27 एवं 29 की ओर से।
4. श्री विक्रम सिंह, रेस्पो0 संख्या 14 से 16 की ओर से।
5. श्री एम0एस0 शेख, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 17 ता 20 की ओर से।
6. श्री जावेद हुसैन, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 21 से 24 की ओर से।
7. श्री जितेन्द्रसिंह रेस्पो0 संख्या 25, 28, 31 की ओर से।
8. श्री नरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 30 की ओर से।
9. श्री नवलसिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 32 की ओर से।
10. रेस्पोडेन्ट संख्या 11 से 13 बावजूद सूचना व तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 01 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष धारा 131, 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा भूमि की नक्शे में तरमीम दुरूस्ती करने हेतु आवेदन किया गया। उक्त आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 9.09.2010 को स्वीकार करते हुए तरमीम दुरूस्ती करने के आदेश पारित किये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2010 के विरूद्ध सम्भागीय आयुक्त न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील संख्या 17/2013 अनवान गौतमचन्द बनाम लक्ष्मीनारायण वगैराह पेश होने पर उक्त अपील दिनांक 02.02.2016 को स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 09.09.2010 को निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को पुनः सुनवाई की जाकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या एलआर/905/16/बाडमेर अनवान लक्ष्मीनारायण बनाम गौतमचन्द पेश की गई। उक्त अपील को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को प्रतिप्रेषित कर नये सिरे से विवादित आराजी के सम्बन्ध में समस्त प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार प्रकरण निस्तारण करने के आदेश दिनांक 20.09.2017 को पारित किये गये।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

2. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 की पालना में प्रकरण संख्या 409/2018 अनवान लक्ष्मीनारायण बनाम गौतमचन्द वगैराह दर्ज किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 15.07.2022 को स्वीकार करते हुए 'ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा भूमि एवं ख0सं0 524/306 रकबा 37.12 बीघा भूमि की लट्ठा ट्रेस नक्शे में तरमीमशुदा भूमि की जहॉ पर पुख्ता तरमीम की गई, उपरोक्तानुसार उभय पक्षकारान के माफिक कब्जे काश्त के मुताबिक ही पुख्ता की गई तरमीम में किसी प्रकार में किसी प्रकार का दुरूस्ती/रद्धोबदल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में की गई तरमीम की पुष्टि की जाती है,' का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 15.07.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 16.08.2022 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया गया कि अपीलांट ने न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा के आदेश दिनांक 15.07.2022 के विरुद्ध मौजूदा अपील प्रस्तुत की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों की जांच किए वगैर नक्शे की जांच किये वगैर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि स्पष्ट रूप से काबिलें खारिज है। अपीलांट ने अपनी अपील में अपील के आधारों में यह स्पष्ट कर दिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण रूप से गलत आदेश पारित किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है एवं विधि के विपरीत होने से काबिले खारिज हैं।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन गया किया कि मौजा खेड के ख0सं0 306 रकबा 1035.04 बीघा किस्म बारानी दोयम बिला कब्जा राजकीय भूमि थी। दिनांक 8.6.1965 को उक्त भूमि में से 85.17 बीघा भूमि बूधर व रणछोड़ पिसरान माना के खातेदारी में दर्ज हुई। दिनांक 26.11.1972 को बूधर व रणछोड ने ख0सं0 306 की 85.17 बीघा भूमि शंकर लाल पुत्र नरसिंगदास 1/2 व गौतमचन्द पुत्र ईश्वरदास 1/2 को बेचान तथा कब्जा सुपुर्द कर दिया, जिसके नये ख0सं0 524/306 बने। दिनांक 27.1.1994 को शंकरलाल व गौतमचन्द ने उक्त भूमि में से 27.10. बीघा भूमि पदमाराम, डूंगर वगैराह को तथा दिनांक 3.2.1994 को 20.15 बीघा भूमि गुलाबीदेवी, जवाहरलाल व दिलीप को बेचान कर दी, जिसके तीन खसरे कमशः ख0सं0 524/306 रकबा 37.12 बीघा शंकरलाल व गौतमचन्द के नाम, ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा गुलाबीदेवी, जवाहरलाल व दिलीप के नाम तथा ख0सं0 1247/306 रकबा 27.10 बीघा पदमाराम, डूंगरराम वगैराह बने। दिनांक 17.3.1997 को ख0सं0 1231/306 रकबा 20.17 बीघा भूमि को गुलाबी देवी व जवहारलाल द्वारा फूलचन्द को बेचान कर दिया

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गया। दिनांक 23.6.2010 को फूलचन्द व दिलीप ने ख0सं0 1231/306 रकबा 20.17 बीघा भूमि को रेस्पो0 संख्या 01 लक्ष्मीनारायण को बेचान कर दिया। रेस्पो0 संख्या एक को बेचान से पूर्व वर्ष 2007 तक उपरोक्त तीनों खसरों की तरमीम नक्शे में नहीं की गई थी। दिनांक 29.9.2007 को अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार, जसोल को पेश करते हुए अपने ख0सं0 524/306 रकबा 37.12 बीघा भूमि की तरमीम नक्शे में अंकित करने हेतु पेश किया। जिसके पश्चात दिनांक 18.1.2008 को पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तैयार किया तथा पडौसियों के हस्ताक्षर भी करवाये। प्रस्तावित नक्शा भी तैयार किया गया जिसमें रकबा 37.12 बीघा, 20.15 बीघा व 27.10 बीघा दर्शित किये गये।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा दिनांक 31.8.2010 को ख0सं0 1231/306 रकबा 20.17 बीघा की तरमीम हेतु आवेदन किया गया। रेस्पो0 संख्या एक ने अधिकारी/कर्मचारी से मिलावट कर वर्ष 2008 की कार्यवाही की अनदेखी कर नक्शे में से अपीलान्ट के ख0सं0 524/306 में से 37.12 बीघा की वास्तविक स्थिती को हटाते हुए दिनांक 9.9.2010 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ख0सं0 1231/306 रकबा 20.17 नक्शे में तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलान्ट का वर्ष 2008 में हिस्सा रेकर्ड में तरमीम कर दिया गया था तो उसे बाद में गलत रूप से परिवर्तित करने हेतु भूमिधारी जिम्मेदार है। भूमिधारी के लिये यह आवश्यक था कि विवाद के समय स्वयं मौका देखते तथा उसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करते। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा भी निर्णय करने से पूर्व तमाम रेकर्ड का अवलोकन कर विरोधाभाषी रेकर्ड होने के कारण स्वयं को मौका देखना आवश्यक था, जो नहीं देखा गया। वर्ष 2008 का राजस्व नक्शे के अनुसार अपीलान्ट का हिस्सा दर्शित है तो उसके पश्चात अपीलान्ट की ख0सं0 524/306 की भूमि ख0सं0 1231/306 व 1247/306 के पास नहीं होकर दूसरी जगह पर कैसे गई, इसका स्पष्टीकरण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में नहीं है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत बनी मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों को नहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की खातेदारी होना स्वीकार किया है जिसमें कोई विवाद पक्षकारों के मध्य है ही नहीं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान रेकर्ड को सही माना है और तरमीम में परिवर्तन करना उचित नहीं मानने में भूल की है। प्रथम दृष्टया ही वर्तमान तरमीम गलत है। भूमिधारी पूर्व नक्शें में लम्बाई व चौड़ाई को परिवर्तन करने के अधिकारी नहीं है। जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है, अपीलान्ट का कब्जा प्रस्तुत गिरदावरी से प्रमाणित है। अपीलान्ट की नक्शे में दर्शित भूमि प्रथम दृष्टया गलत है जिसे सही जगह तरमीम करना न्यायसंगत है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 ता 31 को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है और न ही उनका इस प्रकरण से कोई सम्बन्ध अथवा विवाद है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 524/306 (पुराना खसरा नंबर 306) मौजा खेड़ पटवार मण्डल खेड़ तहसील पचपदरा की 85 बीघा 17 बिस्वा भूमि शंकरलाल व अपीलांट गौतमचंद की खातेदारी में होने का कोई विवाद नहीं है। खसरा नंबर 524/306 राजस्व नक्शा के अनुसार एक ही चक होने से भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, जिसकी पुष्टि इस खसरे की भूमि से लट्ठा ट्रेस से भली भांति स्पष्ट है, जो कि पत्रावली पर स्थित है। उक्त मूल खसरा नंबर 524/306 रकबा 85 बीघा 17 बिस्वा पड़ोस में यानि उत्तर में खसरा संख्या 530/306 व 531/306, दक्षिण में 306/841 व 526/306, पूर्व में 525/306 व 643/306 तथा पश्चिम में खसरा संख्या 528/306 की स्थिति नक्शे से भी भली भांति स्पष्ट है। उक्त मूल खसरा नंबर 524/306 रकबा 85 बीघा 17 बिस्वा में से खातेदार/अपीलांट ने 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पदमाराम, डुंगरचंद वगैरा को बेचान किया, जिसका नया खसरा संख्या 1247/306 कायम हुआ। इसी तरह मूल खसरा नंबर 524/306 रकबा 85 बीघा 17 बिस्वा में से खातेदार/अपीलांट ने 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख गुलाबी देवी, जवाहरलाल वगैरा को बेचान किया, जिसका नया खसरा संख्या 1231/306 कायम हुआ। उक्त दोनों ही विक्रय विलेखों में स्पष्ट रूप से पड़ोस अंकित किए गए है और श्रीमती गुलाबी देवी, जवाहरलाल वगैरा के विक्रय विलेख में पड़ोस में उत्तर में पदमाराम ,डूंगरचंद वगैरा को बेचान की गई, कृषि भूमि बतलाई गई है, जो गुलाबी देवी वगैरा के विक्रय विलेख से स्पष्ट है, जो विक्रय विलेख अपीलांट/खातेदारान् ने ही स्पष्ट किया है। इसी तरह पदमाराम के विक्रय विलेख में पड़ोस में उत्तर में खसरा नंबर 524/306 दिखलाया गया है, जो कि अपीलांट की खातेदारी की शेष भूमि है, जिसका भी कोई विवाद नहीं है क्योंकि दोनों विक्रय विलेख रजिस्टर्ड है और केता और विकेता को इस कृत्य को लेकर कोई विवाद नहीं था।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि उक्त केता/ खातेदार गुलाबी देवी ने अपनी खातेदारी की भूमि जो कि उन्होंने अपीलांट से ही खरीद की थी, को पुनः फुलचंद वगैरा को दिनांक 17.03.1997 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान कर दिया गया। तदोपरांत श्री फुलचंद वगैरा ने दिनांक 23.06.2010 को उक्त गुलाबी देवी वगैरा से खरीद की गई भूमि को रेस्पोडेंट संख्या एक लक्ष्मी नारायण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 23.06.2010 से बेचान की गई, परंतु रेस्पोडेंट संख्या एक ने तत्कालीन पटवारी हल्का घनश्यामसिंह से मिलावट कर नक्शे व राजस्व नक्शे में हेर–फेर कर कांट–छांट कर उसको बदल दिया और उसी का नाजायज फायदा उठाकर लक्ष्मीनारायाण ने अपने हक में निष्पादित कराए गए विक्रय विलेख में पड़ोस में भी हेर– फेर कर दिया, जबकि विधि का यह स्पष्ट प्रावधान/अवधारणा है कि पूर्व के विक्रय विलेख के अनुसार बतलाए गए पड़ोस की भूमि को बाद के विक्रय विलेख में दिखलाया जाएगा परंतु रेस्पोडेंट संख्या एक ने ऐसा नहीं कर गलत रूप से अपने पड़ोस अंकित कर दिये। उपरोक्त स्थिति पत्रावली पर मौजूद विक्रय विलेखों से भलीभांति स्पष्ट है। जब मूल खसरा संख्या 524/306 रकबा 85 बीघा 17 बिस्वा एक ही चक में मौजूद

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

था और उसी में से मूल खातेदारान् यानि अपीलांट ने कुछ भाग बेचान किया और उक्त बेचान के संबंध में निष्पादित विक्रय विलेखों में बेचान की गई भूमियों के पड़ोस में अपीलांट की खातेदारी की भूमि दिखलाई गई है और उन पर अपीलांट का कब्जा भी दिखलाया गया है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की मौका नक्शा/रिपोर्ट में भलीभांति स्पष्ट है, तो अपीलांट की खातेदारी की भूमि पर उसके द्वारा बेचान की गई भूमि से करीब एक किलोमीटर दूरी पर होना कैसे संभव हो सकता है, इसका कोई उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया है, इसे अनदेखा कर गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिलें खारिज है।

8. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों के संबंध में तत्कालीन राजस्व मंत्री, जिला कलेक्टर बाडमेर, उपखण्ड अधिकारी बालोतरा सभी ने टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट लिखा है कि तत्कालीन पटवारी हल्का घनश्यामसिंह दिनांक 28.06.2008 से 10.09.2010 तक पटवारी खेड़ के पद पर कार्यरत रहे है तथा उपरोक्त गिरदावरी भी इनके द्वारा दी गई है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायायलय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर गलत व बिना आदेश के तरमीम करना घनश्यामसिंह पटवारी के द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है, जबकि तरमीम गलत की गई थी तो रिकॉर्ड को आज दिनांक तक रखने का उत्तरदायित्व इनका था। पटवारी हल्का के द्वारा संवत् 2061 से 2068 तक गिरदावरी की गई है, उसमें खसरा संख्या 524/306 की भूमि रकबा 37.12 बीघा में अपीलान्ट श्री गौतमचंद की फसल बोया जाना बताया गया है। इसी तरह यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुराने लठा ट्रेस नक्शे में की गई तरमीम यदि कब्जे के अनुसार सही नहीं है तो उक्त तरमीम को दुरूस्त करने के दौरान नियमानुसार पुरानी तरमीम को लाल स्याही से काटकर नई तरमीम को हरी स्याही से दर्शित करनी चाहिए थी परंतु पुराने लट्ठा ट्रेस नक्शे के अवलोकन से पाया गया कि घनश्यामसिंह पटवारी हल्का खेड़ द्वारा पुरानी तरमीम को बिल्कुल ही हटा दिया गया तथा इसके स्थान पर हरी स्याही से नई तरमीम दुरूस्ती की गई, पुरानी तरमीम को हटाने की कार्यवाही नियम विरूद्ध व अनुचित होने के साथ–साथ राजस्व रेकर्ड में छेड़छाड़ व फेरबदल करने की श्रेणी में आती है। जिला कलेक्टर महोदय ने यह भी स्पष्ट किया है कि घनश्यामसिंह पटवारी ने राजस्व रेकर्ड से छेड़छाड़ (टेंपर) की गई है। यह कृत्य एक लोक सेवक के आचरण के प्रति संदेह उत्पन्न करता है और यह भी अकित किया है कि घनश्यामसिंह, पटवारी के द्वारा नए लट्ठा ट्रेस में खसरा 1247/306, 524/306 एवं ख0सं0 1231/306 की तरमीम पुराने लट्ठा ट्रेस के अनुसार नए लट्ठा ट्रेस में नहीं की गई है, पुरानी तरमीम को घनश्यामसिंह, पटवारी के द्वारा मिटा कर खसरा संख्या 1247/306, 1231/306 की हरी स्याही से तरमीम दर्शाई है, जबकि निरस्त की गई तरमीम को लाल स्याही से काटी गई है, जो नक्शे में अंकन नहीं की है और जानबूझकर रेकर्ड में छेड़छाड़ की गई है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

9. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने तत्कालीन पटवारी घनश्यामसिंह से मिलकर राजस्व नक्शे में छेड़छाड़ कर खसरा संख्या 524/306 को काट दिया और राजस्व रेकर्ड में छेड़छाड़ की गई तथा इसका अनुचित लाभ रेस्पोडेंट संख्या एक लक्ष्मीनारायाण को दिलाया गया। इसके अलावा जब मूल खातेदार द्वारा अपनी ही भूमि में से कुछ भाग की भूमि का बेचान किया गया है तो मूल खातेदार की भूमि बेचान की गई भूमि से एक किलोमीटर दूरी पर स्थित कैसे हो सकती है, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह देखने मात्र से ही गलत व अनुचित प्रतीत होता है, किसी भी रूप में न्यायसंगत नहीं है एवं किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं है और इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य नही है, जिस नक्शे को आधार मानकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, यदि उस नक्शे को भी देखे तो उससे यह प्रतीत हो रहा है कि अपीलांट गौतमचंद के कब्जे की भूमि रेस्पोडेंट को बेचान की गई भूमि से काफी दूरी पर बतलाई गई है, जबकि रेस्पोडेंट के पूर्व स्वामी/खातेदार यानि गुलाबी देवी वगैरा के पड़ोस में पदमाराम को बेचान की गई भूमि यानि खसरा संख्या 1247/306 एवं पदमाराम के विकय विलेख में पड़ोस उत्तर में खसरा संख्या 524/306 की भूमि यानि अपीलांट की भूमि दर्शा रखी है। इन सभी दस्तावेजों को नजरअंदाज करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्य मय दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद होते हुए भी उन्होंने वास्तविक स्थिति से परे जाकर रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में तरमीम किए जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 524/306 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा को राजस्व नक्शे में दुरूस्त किए जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

10. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी ओर से लिखित बहस पेश करते हुए यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि पूर्व जागीर गांव खेड तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 1231/306 क्षैत्रफल 20 बीघा 15 बिस्वा स्थित है जो जमाबन्दी खतौनी के अवलोकन से प्रकट होता है। उक्त खसरे की मौके की वस्तुस्थिति को और अधिक सुस्पष्ट करने हेतु मौके का नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ' जिसमे वर्णित मार्क ए, बी, सी, डी भूमि पर रेस्पो. सं. 1 का कब्जा है जिसके चारों तरफ तारबंदी व बाड़ बनी हुई है। उप तहसीलदार जसोल द्वारा अपने पत्रांक 189 दिनांक 11.02.2008 मे यह स्पष्ट अंकित हैं कि ''खातेदार की खातेदारी भूमि की तरमीम पुराना लट्ठा ट्रेस के आधार पर तथा सेढा पड़ौसीयो के साथ रूबरू नियमानुसार कार्यवाही ही करे इसमे पुराने लट्ठा ट्रेस की तरमीम मे कोई रद्दो बदल बिना सक्षम न्यायालय के निर्णय/आदेश बिना न करे।''

11. इसके बावजूद भी तत्कालीन पटवारी खेड़ ने उपरोक्त निर्देशों की पालना नही कर अपीलाण्ट से मिली भगत कर उसे फायदा पहुंचाने की नियत से पुराना लट्ठा ट्रेस मे खसरा संख्या 524/306 व अपीलाण्ट की भूमि की कोई तरमीम इत्यादी नही होने तथा सेढा पड़ौसीयो अर्थात् प्रभावित खातेदारान् की अनुपस्थिति मे उनको सूचित किये बिना ही एवं सक्षम न्यायालय व ऑथेरिटी के निर्णय/आदेश के बिना ही रेकर्ड व

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अभिलेख मे (लट्ठा ट्रेस) खसरा संख्या 524/306 व 1247/306 की गलत व अनुचित तरमीम की गई थी। अपीलाण्ट के द्वारा बदनियति से बिना सूचना के उपरोक्त करवाई गई गलत तरमीम की जानकारी रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 10 को होने पर रेस्पोडेण्ट सं. 2 पदमाराम ने उप तहसीलदार, जसोल के समक्ष एक आवेदन दिनांक 29.06.2009 को पेश कर आपत्ति करते हुये यह कथन किया कि "मोमी ट्रेस नक्शा मे कब्जा अनुसार तरमीम नही है, जिस हेतु कब्जा काश्त एवं मौका के अनुसार नक्शा मे तरमीम करवाने हेतु हल्का पटवारी खेड़ के नाम आदेश फरमावे।" इस पर उप तहसीलदार, जसोल ने उक्त आवेदन के पुष्ठ पर पटवारी को मौके अनुसार ही तरमीम करने का आदेशित करते हुये पालना रिपोर्ट मंगवाई गई।

12. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 को राजस्व रेकर्ड व नक्शे मे ऐसी गलत तरमीम की बाद खरीद होने की सर्व प्रथम जानकारी होने पर उक्त तरमीम की दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2010 प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार पचपदरा के माफिक निर्देश पर तत0 हल्का पटवारी ने सम्बन्धित प्रभावित पक्षकारो को सूचना देकर मौके पर जाकर आवश्यक पड़ौसी खातेदारो की मौजूदगी मे समुचित प्रकिया का पालन करते हुए सही मौका फर्द व रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार, पचपदरा को प्रेषित की गई। मौके पर भूमि 20 बीघा 15 बिस्वा ही हैं तो अपीलाण्ट के खसरा संख्या 524/306 की 37 बीघा 12 विस्वा भूमि होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही हो सकता हैं। केतागण शंकरलाल व गौतमचन्द (अपीलाण्ट) ने अपनी खातेदारी भूमि मे से पदमाराम डूंगरराम मुलतानाराम, खीमाराम पि0 मगारामजी माली को खसरा सं. 1247/306 रकबा 27 बीघा 10 विस्वा भूमि एवं रेस्पो0 सं. 1 के हक पूर्वाधिकारी श्रीमति गुलाबीदेवी पत्नी हनुमानचन्द जाति ओसवाल को बेचान की गई। खसरा सं. 1231/306 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा के दोनो अलग–अलग रजिस्टर्ड बेचाननामें मे वर्णित सेढ़ो व पड़ौस का विवरण पूर्व मे अपीलाण्ट के द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी से मिली भगत कर करवाई गई गलत तरमीमी नक्शे व मौका रिपोर्ट से कदापि मेल नही खाते हैं और इनमे भी परस्पर भारी विरोधाभास हैं।

13. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट व शंकरलाल के मध्य निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 30.08.2007 मे वर्णित खसरा संख्या 524/306 रकबा 37 बीघा 12 विस्वा का कोई पड़ौस व सेढ़ा की सीमाओ का स्पष्ट विवरण तक नही हैं तथा खसरा संख्या 524/306 के तरमीम नही होने का स्पष्ट कथन किया गया हैं। उक्त बेचान मे खसरा संख्या 306 के जो पड़ौस बताये गये हैं वो सभी दिशाओ मे अन्य खातेदारो व खसरो की भूमि का वर्णन न कर खसरा संख्या 306 का शेष रकबा बताया हैं, जो कानूनी रूप से गलत व निराधार हैं क्योकि ऐसे पड़ौस खसरा संख्या 306 के हो ही नही सकते हैं। यदि उक्त बेचान की भूमि मौके पर अवस्थित होती तो वे अवश्य ही उसे अपने बेचाननामे मे स्पष्ट रूप से पड़ौस का विवरण अंकित कर दर्शाते। वास्तव मे मौके पर उक्त भूमि कभी भी उनके कब्जा काश्त की मौजूद नही रही और इसलिये जानबूझकर केवल मात्र रेकर्ड की बिना कब्जे की उक्त भूमि का अपीलाण्ट ने बतौर केता बेचान दस्तावेज निष्पादित करवाया। इस प्रकार उक्त बेचान मे बताई गई शेष 37 बीघा 12 विस्वा भूमि मौके पर कभी भी अपीलाण्ट व शंकरलाल के कब्जा काश्त की नही रही और न ही ऐसी कोई भूमि मौके पर विद्यमान ही रही हैं और न ही आज हैं। आज वर्तमान मे प्रश्नगत भूमि व उसके आड़ौस–पड़ौस मे

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मौके पर अपीलाण्ट का उपरोक्त खसरा संख्या 524/306 रकबा 37 बीघा 12 विस्वा का कोई कब्जा काश्त इत्यादी नही हैं और न ही गौतमचन्द वहां कोई खेती ही कर रहा हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा उक्त कृषि भूमि 37 बीघा 12 बिस्वा को संपरिवर्तन करवाने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे सक्षम अधिकारी के द्वारा जांच करवाने पर अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा नही होना पाया जाने से दिनांक 26.04.2010 को कार्यवाही ड्रोप की गई। उक्त कार्यवाही मे हल्का पटवारी ने दिनांक 21.04.2010 को अर्थात् तरमीमी दुरूस्ती आदेश दिनांक 09.09.2010 से पूर्व गलत तरमीम के अनुसार भूमि मौके पर उपलब्ध नही बताया और न ही ऐसा कब्जा अपीलाण्ट का तत्समय बताया है।

14. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि श्री रणछोड़ भूदर के द्वारा दिनांक 13.11.1972 को उक्त खसरा नंबर 306 सरहद मौजा खेड़ के रजिस्ट्री बेचाननामा मे अपीलाण्ट व शंकरलाल को बेचान की गई भूमि का कोई पड़ौस व सीमाएं इत्यादी का स्पष्ट विवरण तक अंकित नही किया है। श्री फुलचन्द वगैरा ने रेस्पो0 सं. 1 को निष्पादित बेचान रजिस्ट्री में मौके के वास्तविक स्पष्ट पड़ौस अंकित किये हैं और उसी के अनुसार मौके पर अपना कब्जा सुपुर्द किया तथा वक्त खरीद से ही रेस्पो0 सं. 1 का कब्जा–काश्त निरन्तर/नियमित रूप से चला आ रहा हैं। इस तरह रेस्पो0 सं. 1 का अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1231/306 रकबा 20 बीघा 15 विस्वा पर वक्त खरीद से मौके पर निरन्तर कब्जा काश्त हैं। अब वर्तमान मे राजस्व अभिलेख के नक्शे मे रेस्पो0 सं. 2 ता 10 के खातेदारी के खसरा सं. 1247/306, रेस्पो0 सं. 21 ता 24 के खातेदारी के खसरा सं. 530/306, रेस्पो0 सं. 29 के खसरा सं. 525/306 व रेस्पो0 सं. 30 के खसरा सं. 1779/306 की भूमि उनकी वास्तविक कब्जा काश्त के अनुसार ही तरमीम दर्ज हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि पूर्व मे अपीलाण्ट ने जानबूझकर बदनियति से पटवारी से मिली भगत कर अपनी व रेस्पो0 सं. 2 ता 10 की काबिज जोत की भूमि से भिन्न अन्यत्र जगह को राजस्व नक्शे मे बिना उनकी जानकारी व सहमति के ही अनुचित तरीके से गलत तरमीम करवाई गई थी। वर्तमान मे प्रश्नगत भूमि के आसपास के सभी पड़ौसीयान रेस्पो0 सं. 2 ता 31 के कब्जा–काश्त की कृषि भूमि की रेकर्ड व अभिलेख मे तरमीम की हुई हैं जो कि प्रकरण के प्रश्नगत भूमि के सम्पूर्ण आड़ौस–पडौस का राजस्व अभिलेख के वर्तमान नक्शा से साबित होता है। इसके अलावा वास्तविक रूप से सही स्थिति रेस्पा0 सं. 29 के खातेदारी कब्जा काश्त की खसरा सं. 525/306 के बदिशा उत्तर मे रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी के खसरा सं. 524/306 की भूमि मौके व रेकर्ड मे आई हुई हैं, फिर भी अपीलाण्ट जानबूझकर बदनियति से वास्तविकता से परे जाकर मनचाहे स्थल पर ही अपनी भूमि के सम्बन्ध मे मनगढंत गलत दस्तावेजो की संरचना कर रेस्पो0 सं. 1 व अन्य पड़ौसी खातेदारो (रेस्पोडेण्टगण सं. 2 ता 31) की भूमि हड़प करना चाहता है। अपीलाण्ट के खसरा सं. 524/306 के मौजूदा वास्तविक कब्जे व सही तरमीम का राजस्व अभिलेख का वर्तमान नक्शा अवलोकनार्थ पेश है।

15. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि यदि किसी कदर अपीलाण्ट के द्वारा उज्र उठाकर की गई मॉग के अनुसार अपीलाण्ट के पक्ष में कोई आदेश/निर्णय हो जाता हैं तो मौके व अभिलेख मे सभी प्रभावित खातेदारो के सेढ़े व सीमाऐं हिल जायेंगे तथा उनमें भारी परिवर्तन हो जायेगा, ऐसी विषम परिस्थिति मे

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पड़ौसी खातेदारो व प्रभावित व्यक्तियो के हक अधिकारो का कुठाराघात होगा एवं अनावश्यक ही मुकदमेबाजी मे अभिवृद्धि होगी व अकारण कई कानूनी पेचीदगियॉ बढ़ जायेगी। अन्य रेस्पो0 सं. 2 ता 31 ने भी मौके के वास्तविक कब्जा कास्त की कृषि भूमि के अनुसार ही नक्शा परिशिष्ट ''अ' एवं वर्तमान रेकर्ड अभिलेख मे मौजूदा तरमीम बिल्कुल सही होने का अपने जवाब मे पुष्टि कर कथन किये हैं। अपीलाण्ट के द्वारा बार–बार अपने जवाब मे तत्कालीन हल्का पटवारी, खेड़ घनश्यामसिंह के द्वारा रेस्पो0 सं. 1 से मिलावट कर बिना सूचित किये अन्य पड़ौसी खातेदारान् की अनुपस्थिति मे गलत मौका रिपोर्ट बनाकर गलत रिपोर्ट पेश करने का कथन करते आ रहे है, परन्तु इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 10, रेस्पोडेन्ट सं. 25, रेस्पोडेन्ट सं. 26 ता 27, रेस्पोडेन्ट सं. 28, रेस्पोडेन्ट सं. 29 ता 30 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 31 के द्वारा प्रस्तुत सशपथ जवाब मे यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि "तहसीलदार पचपदरा के निर्देशानुसार तत्कालीन हल्का पटवारी, खेड़ घनश्यामसिंह ने अपीलान्ट, रेस्पोडेन्टान व अन्य प्रभावित पक्षकारो को सूचित कर ही मौके पर जाकर अपीलान्ट एवं पड़ौसी खातेदारो की मौजूदगी मे समूचित प्रकिया का पालन करते हुए सही मौका फर्द व रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार पचपदरा को प्रेषित की गई थी। अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी दस्तावेज मे भी उसकी खातेदारी भूमि के पड़ौस, नक्शे तथा लोकेशन का कोई विवरण अंकित तक नही है, तो ऐसी परिस्थिति मे गिरदावरी दस्तावेजात् से अपीलाण्ट को वादग्रस्त भूमि, जो रेस्पोडेण्ट सं. 1 के काबिज खातेदारी की भूमि है, पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होता है।

16. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब के साथ प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'ब' मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति से नितान्त भिन्न व गलत मनगढंत विरचित कर बदनियति से प्रस्तुत किया गया हैं, नक्शे मे बताये गये मार्क बिन्दुओ के अनुसार पाड़ौसी खातेदारो की भूमि मौके पर विद्यमान तक नही हैं। खसरा संख्या 1229/306 की भूमि जगदीश घांची ने भरत कुमार आजाद (रेस्पो. 25) को दिनांक 07.12.2009 को जरीये रजिस्टर्ड बेचाननामा के बेचान की हैं, उसमे बेचानकर्ता ने मौके पर काबिज पड़ौसीयो खातेदारान व किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा इत्यादी को न दर्शाकर वक्त रेकर्ड नक्शे के अनुसार ही पड़ौस अंकित किये हैं, उक्त बेचान के समय अर्थात दिनांक 07.12.2009 को रेकर्ड नक्शे मे अपीलाण्ट द्वारा अनुचित कार्यवाही कर खसरा संख्या 524/306 की गलत तरमीम करवाई हुई मौजूद थी, जो मौके पर अपीलाण्ट की वास्तव में अवस्थित ही नही थी और तो और बदिशा पश्चिम मे कहीं भी खातेदार व काबिज व्यक्ति का नाम नही हैं। अपीलाण्ट के द्वारा अपने जवाब मे आगे यह स्वीकृति युक्त कथन किया हैं कि ''विप्रार्थी ने ही इस खसरा नंबर 524/306 की भूमि में से अलग–अलग लोगो को बेचान की हैं'' व आगे भी ऐसी स्वीकृति की हैं कि ''पूरा खसरा नंबर 524/306 रकबा 85.15 बीघा अपीलाण्ट के खातेदारी का था, उसमे से ही प्रार्थी ने प्रार्थी के प्रेडिसेसर गुलाबीदेवी वगैरा के खरीददार फुलचन्द वगैरा से खरीद की हैं'' जिससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि पश्चिमी पड़ौस उस समय खसरा संख्या 524/306 रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक पूर्वाधिकारी फुलचन्द का ही हो सकता हैं और यह प्रश्नगत भूमि 524/306 का ही भाग थी। रेस्पोडेन्ट सं. 25 ने भी अपने सशपथ जवाब मे इसका स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से दे दिया है। जगदीश पुत्र मंशाराम घांची ने भी अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत कर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

17. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट के द्वारा जवाब मे गलत व निराधार कथन किया हैं कि "नक्शा परिशिष्ट 'ब' मे बताई गई भूमि गुलाबीदेवी पत्नी हनुमानचन्द वगैरा को बेचान की थी" क्योंकि अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड बेचाननामा सन 1994 जो कि अपीलाण्ट व शंकरलाल द्वारा श्रीमती गुलाबीदेवी के हक पक्ष मे निष्पादित किया हैं, मे वर्णित सेढो की सीमाओ व पाड़ौस से किसी भी प्रकार से मेल नही खाता हैं और बेचान दस्तावेज मे पाड़ौस के विवरण मे जुड़ते अपीलाण्ट के शेष रकबा 37.12 बीघा भूमि का हवाला तक नही है। अपीलाण्ट अनेको बार अपने जवाब मे स्वंय द्वारा पूर्व मे की गई वर्ष 2008 की तरमीम कार्यवाही का कथन किये ही जा रहे है किन्तु उक्त तरमीम कार्यवाही को राजस्व मण्डल, अजमेर ने निर्णय दिनांक 20.09.2017 के द्वारा खारिज कर दिया है। अपीलाण्ट के जवाब मे विशेष कथन भी राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णयनुसार पढने योग्य तक नही है और बिल्कुल गलत व निराधार कथन किये है। राजस्व मण्डल, अजमेर ने सभी हितबद्व व पड़ौसी खातेदारान् को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही मामला पुनः नये सिरे से सुनवाई करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। अपीलाण्ट ने अपने जवाब के पद सं. 4 व पेज सं. 13 मे बदिशा पूर्व मे खसरे सं. 1247/306 की भूमि होने का लिखित कथन कर अपने ही द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट ब मे दर्ज कथनो से बिल्कुल भिन्न व विपरीत कथन किया हैं। इस प्रकार ऐसे विरोधाभास कथनो से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलाण्ट का स्वंय का प्रश्नगत मौके पर कोई कब्जा काश्त कभी भी नही रहा है और न है। वर्तमान के सेटेलाईट गूगल नक्शे मे भी प्रश्नगत भूमि व उसके आस पास के सभी पड़ौसीयान रेस्पोडेन्टगण के कब्जा काश्त की भूमि भी राजस्व रेकर्ड व अभिलेख नक्शे के अनुसार ही स्पष्ट रूप से दर्शा रखी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उप–तहसीलदार जसोल से मौके व रेकर्ड की वर्तमान रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर उप–तहसीलदार जसोल व हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 17.06.22 बनाकर प्रेषित की गई, जिसमे भी अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्टानगण का कब्जा काश्त वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार ही वास्तविक रूप से मौके पर मौजूद पाया गया। इसके अतिरिक्त घोषणा के दावे के विपरित नियमित काउन्टर–क्लेम भी अपीलाण्ट के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, बालोतरा में पेश किया है जो वर्तमान मे भी विचाराधीन है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील सारहीन व निरर्थक होने से व्यय सहित खारिज फरमाई जावें एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2022 को यथावत रखा जावें।

18. दौराने सुनवाई रेस्पो0 संख्या 2 ता 10, 14 व 16/1, 17 ता 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 के विद्वान अधिवक्तागणा के द्वारा लिखित बहस पेश करते हुए लिखित बहस के अनुसार यह कथन किया कि प्रश्नगत भूमि सह–खातेदारी की भूमि है, जिसकी तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस मे मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त के अनुसार खातेदारी भूमि को पूर्व में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर ही सही व उचित इन्द्राज करवाई थी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि पर वक्त खरीद से निरन्तर कब्जा अनुसार काश्त की जाती रही है। अपीलान्ट के द्वारा अपने जवाब व अपील के साथ प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'ब' बिल्कुल ही मौके की वास्तविकता से भिन्न बनावटी व गलत विरचित कर दूषित मंशा से पेश किया गया है, नक्शे में बताये अनुसार मार्क बिन्दू अनुसार खातेदारी की भूमि मौके पर अवस्थित तक नहीं है। नक्शा परिशिष्ट 'अ' मे दर्शाये गये मार्क बिन्दुओ के अनुसार ही वर्णित नाम, खसरा अनुसार ही रेस्पो0 सं. 1 एवं अन्य सभी रेस्पोडेन्टस्/ खातेदारो की भूमि मौके पर अवस्थित हैं।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

19. दौराने सुनवाई रेस्पो0 संख्या 2 ता 10, 14 व 16/1, 17 ता 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 21.09.2007 को नक्शे में तरमीम करने हेतु उप तहसीलदार जसोल को दिये गये आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2007 पर तत0 पटवारी खेड श्री नरपतसिंह ने मौके पर नहीं जाकर एवं आवश्यक पक्षकार रेस्पो0 संख्या 2 ता 10 को तथा अन्य प्रभावित पक्षकारों /पडौसी खातेदारों को बिना सूचना के व उनकी अनुपस्थिति में रेस्पो0 संख्या एक से मिलीभगती कर अनुचित फायदा देने की गरज से घर पर ही बैठकर गलत मौका रिपोर्ट व फर्द तैयार कर दी गई। पुराने खसरा ट्रेस में ख0सं0 524/306 व रेस्पो0 संख्या 2 ता 10 के खातेदारी की कृषि भूमि ख0सं0 1247/306 की अवैध तरीके से गलत व अनुचित तरमीम की गई थी। रेस्पोडेन्टस को इसकी जानकारी होते ही उन्होंने अपीलान्ट से मिलकर उसे जानकारी दी और राजस्व नक्शे में तुरन्त ही वास्तविक सही रूप से तरमीम दुरूस्ती करवाने का आग्रह किया। इसके कुछ समय बाद ही रेस्पो0 संख्या एक को बाद खरीद के रेकर्ड व नक्शे में ऐसी गलत तरमीम का ज्ञात होते ही तुरन्त ही वर्ष 2010 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तरमीम दुरूस्ती करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अपीलाधीन कार्यवाही की गई थी तथा तहसीलदार, पचपदरा के निर्देशानुसार तत0 पटवारी खेड घनश्यामसिंह ने अपीलान्ट, रेस्पो0 संख्या 2 ता 10 व अन्य प्रभावित पक्षकारों को सूचित कर ही मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजूदगी में समुचित प्रकिया का पालन करते हुए सही मौका फर्द व रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार, पचपदरा को प्रेषित की गई थी। रेस्पो0 संख्या 2 ता 10 के खातेदारी की कृषि भूमि ख0सं0 1247/306 व रेस्पो0 संख्या 21 ता 24 की खातेदारी की भूमि ख0सं0 530/306 की उनके वास्तविक कब्जा अनुसार ही तरमीम दर्ज है और अन्य पडौसीयान की भी मौके अनुसार सही तरमीम की हुई है।

20. दौराने सुनवाई रेस्पो0 संख्या 2 ता 10, 14 व 16/1, 17 ता 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 के विद्वान अधिवक्तागण ने यह भी कथन किया कि वास्तव में मौके पर प्रश्नगत भूमि रकबा 20.00 बीघा 15 बिस्वा ही है तो अपीलान्ट की वहॉ पर 37.12 बीघा भूमि होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में तरमीम मौके की वास्तविकता के अनुसार सही तरमीम की हुई है। अपीलान्ट के द्वारा कथित रजिस्टर्ड बेचाननामों में वर्णित सेढो व पडौस के विवरण पूर्व में अपीलान्ट के द्वारा तत0 पटवारी श्री नरपतसिंह से मिलीभगत कर अंकित करवाई व गलत तरमीमी नक्शे व मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 04.09.2010 तथा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'ब' से कतही मेल नहीं खाते है और परस्पर विरोधाभास है। इस प्रकार बाद बेचान की शेष रही 37.12 बीघा भूमि नक्शा परिशिष्ठ 'ब' में दर्शाये अनुसार मौके पर कभी अपीलान्ट व शंकरलाल के कब्जा काश्त की नहीं रही और न ही ऐसी भूमि मौके पर विद्यमान रही है और न ही अपीलान्ट वहॉ पर कोई खेती कर रहा है।

21. दौराने सुनवाई रेस्पो0 संख्या 2 ता 10, 14 व 16/1, 17 ता 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 के विद्वान अधिवक्तागणा के द्वारा यह भी कथन किया कि तहसीलदार पचपदरा के निर्देशानुसार ही तत्कालीन हल्का पटवारी श्री घनश्यामसिंह ने सम्बन्धित प्रभावित पक्षकारो को सूचना देकर ही मौके पर जाकर आवश्यक पड़ौसी खातेदारो की मौजूदगी मे समुचित प्रकिया का पालन करते हुए सही मौका फर्द व रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार पचपदरा को प्रेषित की गई थी। अपीलकर्ता के द्वारा प्रस्तुत गिरदावरीयों मे

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उसके खातेदारी भूमि के पड़ौस, नक्शे तथा लोकेशन का कोई विवरण तक अंकित नही है, तो ऐसी परिस्थिति मे रेवेन्यू दस्तावेजात् से रेस्पो0 संख्या 1 को प्रश्नगत भूमि जो रेस्पो0 सं. 1 के काबिज खातेदारी की भूमि पर कोई हक–हित व अधिकार प्राप्त नही होता है। वर्तमान मे भी राजस्व रेकर्ड के नक्शे मे रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 10 की खातेदारी भूमि खसरा सं. 1247/306 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 21 ता 24 की खातेदारी भूमि खसरा सं. 530/306, रेस्पोडेन्ट सं. 26 ता 27 की खातेदारी भूमि खसरा सं. 1947/306 की उनके मौके पर मौजूद वास्तविक कब्जा काश्त के अनुसार ही तरमीम दर्ज अंकित हैं अर्थात् प्रश्नगत भूमि के आस–पास के सभी पड़ौसीयान्/खातेदारान् रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 31 के कब्जा काश्त की भूमि की रेवेन्यू रेकर्ड मे मौके की वास्तविकता के अनुसार सही तरमीम की हुई हैं। ऐसे में जब मौके पर उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि 20.15 बीघा क्षैत्रफल की ही विद्यमान हैं तो वहॉ अपीलकर्ता की 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही हो सकता हैं।

22. दौराने सुनवाई रेस्पो0 संख्या 2 ता 10, 14 व 16/1, 17 ता 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 के विद्वान अधिवक्तागणा के द्वारा यह भी कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपने जवाब मे तत्कालीन हल्का पटवारी खेड़ श्री घनश्यामसिंह के विरूद्व जॉच की कार्यवाही के सम्बन्ध मे गलत आरोप लगाये है क्योकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री उदय भानू चारण ने अपने आपसी रंजिश मनमुटावो के कारणवश पटवारी श्री घनश्यामसिंह के विरूद्व सही परिप्रेक्ष मे जॉच न कर तथा पत्रावली पर मौजूद पडौसी खातेदारान् के बयान व आवश्यक मैटेरियल साक्ष्य सबूतो को नजरअन्दाज कर जिला कलेक्टर, बाड़मेर को अपनी दूषित रिपोर्ट भेजने पर पटवारी घनश्यामसिंह ने जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर वास्तवकिता बताकर अपना प्रतिवेदन पेश करने पर पुनः नये सिरे से बालोतरा क्षैत्राधिकारिता के बाहर अन्य उपखण्ड अधिकारी को जॉच हेतु फाईल भिजवाई गई, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, बायतू ने सही परिप्रेक्ष मे जॉच कर पत्रावली पर मौजूद आवश्यक मैटेरियल साक्ष्य सबूतो की पूरी छानबीन कर पटवारी घनश्यामसिंह पर लगाये गये आरोपो को जॉच मे निर्दोष मानते हुये जिला कलेक्टर को अपनी जॉच रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही कर अपीलकर्ता द्वारा लगाये गये सभी आरोपो से दोषमुक्त कर कार्यवाही ड्रोप फरमाई। इन सभी तथ्यो की पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट सं. 1 को शुरू से बखूबी रही है, किन्तु अपीलकर्ता ने जानबूझकर गलत मंशा से अपने फायदे के आधे–अधूरे दस्तावेजो का प्रकरण मे कथन कर सही तथ्यो एवं दस्तावेजो को छिपाते हुए प्रस्तुत कर दिये जो विधि के अन्तर्गत अपीलकर्ता द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य न्यायालय से आपराधिक कृत्य की श्रेणी मे आता है।

23. दौराने सुनवाई रेस्पो0 संख्या 2 ता 10, 14 व 16/1, 17 ता 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 के विद्वान अधिवक्तागणा के द्वारा यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट के द्वारा कृषि भूमि खसरा सं. 524/306 रकबा 37 बीघा 12 विस्वा के भू–संपरिवर्तन के लिये तहसीलदार, पचपदरा के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2010 प्रस्तुत कर भूमि परिवर्तन कराये जाने हेतु निवेदन किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर कार्यवाही करते हुए मौका जांच करवाई गई, मौका जॉच करवाने पर अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा नही होना पाया जाने से अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2010 को कार्यवाही ड्रोप कर दी गई थी।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत घोषणा के अनुतोष का नियमित काउन्टर–वाद भी न्यायालय सहायक कलक्टर, बालोतरा में लम्बित है, तो उसी प्रकरण के माध्यम से अपीलाण्ट अपना हक अधिकार तय कर निर्णित करवा सकता है, जिसमे रेस्पोडेण्ट सं. 29 भी पक्षकार है। मौके पर उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि मात्र क्षैत्रफल 20.15 बीघा ही वास्तविक भौतिक रूप से उपलब्ध हैं तो उसी जगह अपीलाण्ट की तथाकथित रकबा 37 बीघा 12 विस्वा भूमि होने की निश्चित रूप से किसी भी सूरत मे कोई संभावना ही पैदा नही हो सकती हैं। वर्तमान मे अब रेवेन्यू रेकर्ड के नक्शे मे रेस्पोडेण्टगण नं. 2 ता 10 की खातेदारी भूमि खसरा सं. 1247/306, रेस्पोडेण्टगण नं. 21 ता 24 की खातेदारी भूमि खसरा सं. 530/306 एवं रेस्पोडेण्टगण नं. 29 ता 30 की कृषि भूमि क्रमशः खसरा सं. 525/306 व खसरा सं. 1779/306 की उनके वास्तविक कब्जा काश्त के अनुसार ही तरमीम दर्ज अंकित हैं तथा इसी तरह प्रश्नगत भूमि आस–पास के सभी पाड़ौसीयान् रेस्पोडेण्टगण नं. 2 ता 31 के भी कब्जा काश्त की कृषि भूमि की रेवेन्यू रेकर्ड मे मौके की वास्तविकता के अनुसार सही तरमीम की हुई हैं। अपीलाण्ट के द्वारा अपने जवाब मे कथित गिरदावरियो मे कही भी उसके खातेदारी भूमि के पड़ौस, सेढ़े व स्पष्ट लोकेशन का विवरण तक दर्ज नही है, तो ऐसी परिस्थिति मे गिरदावरी दस्तावेजो से अपीलाण्ट को प्रश्नगत भूमि खातेदारी की भूमि पर कोई अधिकार हक प्राप्त नही होता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2022 को यथावत रखा जावें।

24. हमने पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त करवाये जाने हेतु अपनी ओर से मुख्य आधार यह लिया गया कि उनकी क्रयशुदा एवं खातेदारी के ख0सं0 524/306 रकबा 37.12 बीघा भूमि की पूर्व नक्शे में की गई तरमीम को पुख्ता किये जाने हेतु उनके द्वारा वर्ष 2008 में उप तहसीलदार, जसोल के समक्ष दिनांक 18.1.2008 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा ख0सं0 524/306, ख0सं0 1247/306 एवं ख0सं0 1231/306 के केतागण की उपस्थिति में तरमीम नक्शा लट्ठा में करवाई जा चुकी थी तथा उसी के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है।

25. अपीलाधीन प्रकरण में रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा भूमि की तरमीम करवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2010 पेश करते हुए उक्त ख0सं0 1231/306 रकबा 20.00 बीघा भूमि की पूर्व में की गई तरमीम बिना किसी आदेश के की जाने के आधार पर तथा तरमीम सही नहीं होने व क्रयशुदा भूमि के कब्जा अनुसार भूमि की तरमीम दुरूस्त करवाये जाने हेतु कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2010 पर तहसीलदार, पचपदरा से टिप्पणी चाही गई।

26. तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./10/4505 दिनांक 07.09.2010 के द्वारा अपनी टिप्पणी प्रेषित करते हुए यह अंकित किया गया है कि ''ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार लक्ष्मीनारायण

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पुत्र रामगोपाल की खातेदारी में दर्ज होना तथा कब्जा काश्त उनका होना बताया। उक्त खसरे की नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम नहीं है। ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा के कब्जा काश्त के स्थान पर ख0सं0 524/306 रकबा 37.12 बीघा की तरमीम की हुई होना बताया। ख0सं0 1231/306 के पूर्व खातेदार फूलचन्द पुत्र सोहनराज वगैराह से पूछताछ में स्वयं की कब्जा काश्त खसरा बेचान से पूर्व यही स्थिति निर्विवाद बताई। ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 के मौका पर ख0सं0 524/306 की तरमीम कब व किस आदेश से हुई, यह लट्ठा ट्रेस पर दर्ज नहीं है तथा न किसी आदेश फाईल में है। अतः उक्त ख0सं0 524/306 की तरमीम बिना आदेश के गई प्रतीत होती है। ख0सं0 524/306 रकबा 37.12 बीघा के खातेदार गौतमचन्द पुत्र ईश्वरदास ओसवाल का कब्जा काश्त उपरोक्त जगह नहीं पाया गया है तथा न ही पूर्व में उक्त जगह बताया गया है अतः तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।''

27. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा तहसीलदार, पचपदरा की ओर से प्रेषित उक्त टिप्पणी/रिपोर्ट दिनांक 07.09.2010 में तरमीम दुरूस्ती किये जाने की, की गई अनुशंषा के अनुसार रेस्पो0 संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.8.2010 को अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.9.2010 के द्वारा स्वीकार करते हुए प्रश्नगत ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा भूमि की तरमीम दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया है।

28. उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 17/2013 प्रस्तुत होने पर दिनांक 2.2.2016 को अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने पर रिमाण्ड प्रकरण दर्ज किया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये जाने, उपतहसीलदार, जसोल से वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.6.2022 प्राप्त करने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रश्नगत ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा भूमि तथा अपीलान्ट गौतमचन्द के ख0सं0 524/306 रकबा 37.12 बीघा भूमि की लट्ठा ट्रेस नक्शे में तरमीमशुदा भूमि की जहॉ पर पुख्ता की गई तरमीम में किसी प्रकार का दुरूस्ती/रद्धोबदल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में की गई तरमीम की पुष्टी किये जाने का आदेश दिनांक 15.07.2022 को पारित किया गया है।

29. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में उप तहसीलदार जसोल के पत्र दिनांक 17.06.2022 के द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई है जिसमें ''मौजा खेड़ के ख0सं0 306 में बिला कब्जा 31.13 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना, गौतमचन्द के ख0सं0 524/306 रकबा 37.12 बीघा भूमि नक्शे में तरमीम शुदा होना तथा मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में खाली होना व विवादरहित होना तथा रेस्पो0 संख्या 1 लक्ष्मीनारायण के ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा भूमि नक्शे में तरमीमशुदा होना तथा मौके पर कब्जा काश्त होना दर्शाया और वक्त खरीद से कब्जा होना दर्शाया है। प्रमाण स्वरूप ख0सं0 524/306, 1231/306 व मूल ख0सं0 306 की जमाबन्दी व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसील पचपदरा को ऑनलाईन करते समय डीआरएलएमपी के तहत राजस्व रेकर्ड में उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार तरमीम की जा चुकी है।''

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

30. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख0सं0 524/306 रकबा 37.12 बीघा का अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि सपंरिवर्तन के लिये सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा मौके की जॉच करवाये जाने पर अपीलान्ट का मौका पर कब्जा नहीं होना पाये जाने के आधार पर भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही को ड्रॉप कर दिया गया है।

31. इसके अतिरिक्त अन्य रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जवाब/लिखित बहस में ख0सं0 306 में जो तरमीम की गई है, उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही की गई होने से यथावत रखे जाने का तथा किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह भी माना है कि मौके पर खेत ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा ही उपलब्ध है और इसके पास उत्तर दिशा में ख0सं0 1779/306, 643/306, दक्षिण दिशा में ख0सं0 528/306, पूर्व दिशा में 1229/306 व 1232/306 व पश्चिम दिशा में ख0सं0 1247/306 का मौके पर अपनी–अपनी भूमि पर काबिज होना तथा गुगल सेटेलाईट नक्शे के अनुसार ख0सं0 1231/306 के पास में कोई भूमि खाली नहीं पाई गई, न ही उसके लगती हुई भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा पाया गया है। इन सभी तथ्यों के आधार पर ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा एवं अपीलान्ट तथा अन्य शेष रेस्पोडेन्ट्स की भूमि नक्शे में जहॉ पर पुख्ता तरमीम की गई है, उसमें किसी प्रकार का रद्दोबदल किया जाना उचित नहीं माना।

32. अपीलान्ट के द्वारा इस अपील में उल्लेखित किये गये कथनानुसार कि उनके द्वारा दिनांक 21.9.2007 को एक प्रार्थना पत्र उपतहसीलदार, जसोल को पेश करते हुए अपनी खातेदारी वाले खेत ख0सं0 524/306 रकबा 37.12 बीघा भूमि की पुख्ता तरमीम अपने कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शे में अंकित करने हेतु पेश किया गया था जिसके पश्चात उप तहसीलदार जसोल ने तत्कालीन पटवारी हल्का, खेड के द्वारा पूर्व में तैयार की गई मौका स्थिति का नजरी नक्शा तथा मौका फर्द के अनुसार दिनांक 18.1.2008 को पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तैयार किया तथा पड़ौसियों के हस्ताक्षर भी करवाये। प्रस्तावित नक्शा भी तैयार किया गया जिसमें रकबा 37.12 बीघा, 20.15 बीघा व 27.10 बीघा दर्शित किये गये। उप तहसीलदार जसोल के द्वारा पटवारी हल्का खेड की पेश रिपोर्ट की पृष्ठ पर अपने पत्रांक 189 दिनांक 11.02.2008 मे यह स्पष्ट अंकित किया हैं कि "खातेदार की खातेदारी भूमि की तरमीम पुराना लट्ठा ट्रेस के आधार पर प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त तथा सेढा पड़ौसियो के साथ रूबरू नियमानुसार कार्यवाही करे। इसमे पुराने लट्ठा ट्रेस की तरमीम मे कोई रद्दोबदल बिना सक्षम न्यायालय के निर्णय/आदेश बिना न करे। मौका अनुसार सही व नियमानुसार कार्यवाही करें।"

33. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा अपीलाधीन रिमाण्ड प्रकरण में उभय पक्षकारान की मौके पर आई हुई वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड, लट्ठा ट्रेस, मौके पर कब्जा–काश्त की स्थिति का पूर्ण परीक्षण करने के उपरान्त समग्र विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए, उभय पक्षकारान को अपना–अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त अपीलान्ट गौतमचन्द के खेत ख0सं0 524/306 रकबा 37.12 बीघा भूमि, रेस्पो0 संख्या 01 के ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा भूमि की लट्ठा ट्रेस नक्शे में तरमीमशुदा भूमि की जहॉ पर पुख्ता की गई तरमीम में किसी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकार का दुरूस्ती/रद्धोबदल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में की गई तरमीम की पुष्टी किये जाने के आदेश दिनांक 15.07.2022 को पारित किया गया है, वह पूर्ण रूप से न्यायोचित एवं उचित प्रतीत होता हैं।

34. अपीलान्ट यह साबित नहीं कर पाये है कि वादग्रस्त ख0सं0 1231/306 रकबा 20.15 बीघा की भूमि उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है अथवा ख0सं0 1231/306 की तरमीम किये गये जाने के पूर्व में भी उनका कब्जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के ख0सं0 524/306 की भूमि में एवं रेस्पो0 संख्या एक के ख0सं0 1231/306 की भूमि में माप का मिलान भी नहीं हो रहा है एवं दोनों के रकबा के माप में काफी अन्तर दर्शित होता है जिससे मौके पर उक्त माप की भूमि उपलब्ध नहीं होना भी प्रतीत होता है।

35. इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों, लिखित बहस में अंकित किये गये तथ्यों पर गहनता से चिन्तन एवं मनन करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

36. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2022 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर